

न्यायालय :-कमलेश कुमार कोल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला, खण्डवा (म0प्र0)

कमांक/क्ष./प्र.फौ./ /2023

खण्डवा, दिनांक-28.10.2023

---:आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2023 में तृतीय संशोधन आदेश'':---

1- मैं कमलेश कुमार कोल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला पूर्व निमाड खण्डवा 14(1) व 15 (2) द.प्र.सं 1973 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन दिनांक 26.04.2023 के आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक की आवश्यक टीप पृष्ठ कमांक 10 एवं अनुसूची-अ में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

---:अनुसूची "अ"---

जिला न्यायालय पूर्व निमाड, खण्डवा में पदस्थ कॉलम नंबर 2 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश/प्रशिक्षण/अनुपस्थित पर रहने पर उनके नाम के सम्मुख दर्शित कॉलम नंबर 03 के न्यायिक अधिकारीगण कमानुसार प्रभारी रहेंगे ।

क्र०	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	अनुपस्थिति में प्रभार
1	2	3
12	सुश्री शिवांगी सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, कनिष्ठ खंड, खंडवा (प्रशिक्षु न्यायाधीश)	1-श्री राहुल सोनी, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 2-श्री रविशंकर भलावी न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 3-श्री जगत प्रताप अटल, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा
13	श्रीमती स्मृति सोनी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, खंडवा (प्रशिक्षु न्यायाधीश)	1-श्री मोहन डावर, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 2-श्री रविशंकर भलावी, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 3-श्री जगत प्रताप अटल, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा
14	सुश्री समीक्षा सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश कनिष्ठ खंड जिला खण्डवा (प्रशिक्षु न्यायाधीश)	1-सुश्री निधि जैन, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 2-श्री रविशंकर भलावी, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 3-श्री मोहन डावर, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा
15	अवनीष चौवे, प्रथम व्य०न्याया० कनिष्ठ खंड के चतुर्थ अति. न्याया. खंडवा म०प्र० (प्रशिक्षु न्यायाधीश)	1-श्री जगत प्रताप अटल, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 2-श्री राहुल सोनी, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 3-श्री रविशंकर भलावी, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा
16	सुश्री प्रियम सेन, प्रथम व्य०न्याया० कनिष्ठ खंड के पंचम अति. न्याया. खंडवा म०प्र० (प्रशिक्षु न्यायाधीश)	1-श्री रविशंकर भलावी, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 2-श्री मोहन डावर, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 3-सुश्री निधि जैन, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा

आवश्यक टीप :-

1. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने के दौरान अथवा स्थानांतरण होने और उनके स्थान पर अन्य किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की पदस्थापना न होने के कारण रिक्त न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण अन्य आदेश होने तक उस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा जिनके द्वारा संबंधित अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में उनका कार्य सम्पादित किया जाता था।
2. उपरोक्त कॉलम नंबर 3 के प्रभार वाले सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के अवकाश पर होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त स्थापना पर पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रभारी अधिकारी के रूप में संबंधित न्यायालय का कार्यभार देखेंगे।

कार्य विभाजन पत्रक के पृष्ठ क्रमांक 10 की आवश्यक टीप क्रमांक 6 के पश्चात 6.1 तथा 6.2 में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है कि :-

(6.1) वर्तमान में श्री विष्णु प्रसाद सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खंडवा का न्यायालय रिक्त होने से उनके द्वारा जारी स्थाई वारंट एवं आपराधिक प्रकरणों में पारित आदेश/निर्णय से संबंधित एवं अन्य कार्यवाहियों का निराकरण श्री अभिषेक सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा किया जावेगा।

(6.2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खंडवा के अतिरिक्त यदि अन्य कोई मजिस्ट्रेट जिनकी न्यायालय रिक्त हो गई है के द्वारा थाना मोघट से संबंधित जारी स्थाई वारंट का निराकरण श्री जगत प्रताप अटल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा एवं थाना कोतवाली से संबंधित जारी स्थाई वारंट का निराकरण श्री मोहन डाबर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा किया जावेगा।

अनुमोदन

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पूर्व निर्णय, खंडवा (म.प्र.)

(कमलेश कुमार कोल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खंडवा (म.प्र.)

पुष्तांकन क्र...../2023

खंडवा, दिनांक-28.10.2023

प्रतिलिपि-

- 1- कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय खंडवा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- माननीय विशेष न्यायालय, प्रथम/द्वितीय/तृतीय जिला न्यायाधीश महोदय, खंडवा एवं हरसूद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कार्यालय कलेक्टर जिला खंडवा की ओर प्रेषित।
- 4- पुलिस अधीक्षक, जिला खंडवा (म.प्र.) की ओर समस्त थाना प्रभारियों को सूचित करने हेतु प्रेषित।
- 5- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खंडवा/हरसूद/पुनासा एवं प्रशिक्षु न्यायाधीशगण, खंडवा जिला खण्डवा सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- उप संचालक (अभियोजन), कार्यालय जिला अभियोजन खंडवा को सूचनार्थ।
- 7- अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, खंडवा को सूचनार्थ।
- 8- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ।
- 9- प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय, खंडवा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 10- प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खंडवा म.प्र.
- 11- सिस्टम आफिसर खण्डवा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त आदेश की प्रति संबंधित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करे।

(कमलेश कुमार कोल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला खंडवा (म.प्र.)